सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की आपात बैठक

दिनांक - 04-12-2015
समय - अपराह्ण 03:00 बजे से
स्थान - योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह	3-	प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय
4-	डा॰ प्रभुसिंह यादव	5-	प्रो॰ शीतला प्रसाद उपाध्याय
6-	डा॰ लतापंत तैलंग	7-	डा॰ विजय कुमार पाण्डेय
8-	प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी	9-	डा॰ दिनेश कुमार गर्ग
10-	वित्ताधिकारी	11-	कुलसचिव - सचिव

मंगलाचरण - प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम - मुख्य भवन के जीर्णोद्धार हेतु शासन से प्राप्त अनुदान के आलोक में विश्वविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) नई दिल्ली के मध्य अनुबन्ध पर विचार।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.09.2015 में कार्यक्रम संख्या-5 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के जीर्णोद्धार हेतु शासन से प्राप्त अनुदान (शासनादेश संख्या-754/सत्तर-4-2014-5(3)/2007, दिनांक 6 जुलाई, 2015 के आलोक में वित्ताधिकारी एवं कार्यदायी संस्था इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज, नई दिल्ली के मध्य किये जाने वाले अनुबन्ध के ड्राफ्ट के अनुमोदन पर विचार के क्रम में परिषद् को अवगत कराया गया कि चूँकि इण्टैक के अनुबन्ध पत्र में पेनाल्टी क्लाज कार्यदायी संस्था द्वारा नही रखा गया था जबकि विश्वविद्यालय में निर्माण या मरम्मत आदि कार्य के लिए अन्य कार्यदायी संस्थाओं से जो अनुबन्ध किये जाते है उन सभी में पेनाल्टी क्लाज भी रखा जाता है, अतः उक्त के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार की सलाह के आलोक में कुलपति महोदय के आदेश पर अनुबन्ध में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित पेनाल्टी क्लाज का समावेश कराया गया-

Time Schedule- the total time period is 24 working months

1. INTACH shall complete the project work within the fixed total time period. If INTACH fails to complete the project work within the fixed total time period then it shall be Liable to pay to SSU the fine of 10% amount of the pending

estimated work and the pending work shall be completed by INTACH as early as possible.

2. After the expiry of the total time period and at the end of every subsequent calendar month INTACH shall be liable to pay fine of 5% per month amount of the pending estimated cost of the work to SSU. At the end of every three months the fine shall be enhanced with two times.

3. In any case, if INTACH abstains or unable to perform or leaves the work in incomplete condition then the INTACH shall be liable to refund the whole estimated cost of the rest of the undone project work with 10% amount of the estimated cost as fine to SSU.

उक्त ड्राफ्ट को विश्वविद्यालय अभियन्ता के ई-मेल द्वारा दिनांक 08.09.2015 को इन्टैक के अधिकारियों को उनकी सहमति के लिए भेजा गया जिसके सम्बन्ध में इन्टैक के मेल दिनांक 10.09.2015 द्वारा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुआ।

As per your mail regarding the MOU. Clause no. 5 related to are not acceptable to us. There is no time frame agreed upon in the MOU.

Moreover there is no mention of INTACH 10% centage charges in the MOU and this need to be recorded within the MOU.

कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार अनुबन्ध पत्र एवं इण्टैक द्वारा उस पर की गयी आपत्ति पर सम्यक एवं गम्भीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् सर्वसम्मत्ति से निम्नलिखित निर्णय लिया कि-

''उत्तर-प्रदेश शासन को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जाये और शासन से यह अनुरोध करते हुए अनुमति माँगी जाये कि जिस प्रकार अन्य कार्यदायी संस्थाओं से विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य करायें जानें के लिये अनुबन्ध में पेनाल्टी क्लाज रखकर ही कार्य करायें जाते है तो क्या इन्टैक से भी इसी भाँति अनुबन्ध कराये जाने के बाद ही कार्य कराया जाना उचित होगा अथवा इन्टैक द्वारा दी गयी शर्तो के अनुसार अनुबन्ध से पेनाल्टी क्लाज हटा कर अनुबन्ध करके कार्य कराया जाना उचित होगा''।

कार्यपरिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इस संबंध में शासन स्तर से शीघ्रता से प्रयास करके निर्देश प्राप्त किया जायें और तत् पश्चात् तदनुसार अनुबन्ध कराकर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

कार्यपरिषद् की उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा पत्र सं॰नि॰वि॰932/9/15, दिनांक 12.09.2015 के माध्यम से शासन से दिशा-निर्देश मांगा गया।

विश्वविद्यालय द्वारा मांगे गये दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में शासन ने अपने पत्र संख्या-1196/सत्तर-4-2015-5(3)/09, दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देशित किया कि कार्यदायी संस्था के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध पत्र में पेनाल्टी क्लाज को शामिल करते हुए अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर उक्त कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जाय।

शासन के उक्त निर्देश से विश्वविद्यालय पत्र संख्या-नि॰वि॰968/10/2015, दिनांक 11.10.2015 के द्वारा कार्यदायी संस्था इंटेक को सूचित करते हुए यह कहा गया कि किसी सक्षम अधिकारी को भेजकर किसी कार्य दिवस में शीघ्रताशीघ्र वित्त अधिकारी से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करके कार्य प्रारम्भ करायें।

विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के क्रम में कार्यदायी संस्था इंटैक ने अधोलिखित पत्र संख्या F.5./347/SUV/2015-108, दिनांक 12 अक्टूबर,2015 में अनुबन्ध से पेनाल्टी क्लाज को हटाने का अनुरोध किया है एवं पेनाल्टी क्लाज हटने पर ही अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने का उल्लेख किया-

V.C. 3857/2015
27.10.15

क्र. 03

Indian National Trust for Art and Cultural Heritage
INTACH

DIVAY GUPTA
Principal Director
Architectural Heritage Division

71, Lodhi Estate, New Delhi-110 003
Ph (D) : 91-11-2465 6575
General : 2463 1818, 2463 2267, 2463 2269, 2469 2774
Fax : 91-11-2461 1290
E-mail : intach@vsnl.net
divaygupta@gmail.com
Website : www.intach.org

12th October 2015

Ref. F.5/347/SUV/2015-108

Subject: Conservation of historic building of Sampurnanda Sanskrit Viswavidyalaya (University), Varanasi.

Dear Sir,

With reference to your letter ref.no.N.N.968/10/15 dated 11th October 2015 regarding the above subject, the following is submitted for your consideration:

1. The time frame for the project is yet not defined and is only possible to ascertain the actual time project only after the preparation of detailed conservation plan and starting of the enabling works, since large part of the building is still inaccessible or unsafe to inspect without scaffolding or propping, like its roof and collapsed parts.

2. Thus the proposed penalty clause in the MoU is too harsh and impractical, since there are so many hidden and unforeseen aspects in restoration work unlike new construction and thus cannot be compared with that of new construction. The penalty clause as per general norms is also not more than 1% of the total value of the project.

3. We have been working with many Central and State Government on many restoration and conservation project of heritage buildings for last 30 years and in none of the those MoUs there ever has been a penalty clause. It is also learnt that no such penalty clause is impose to other execution agencies of Govt. of Uttar Pradesh.

4. The techno administration charges of 10% can be equated to the centage charges, other exulting agencies of Govt. of Uttar Pradesh charges for implementation of the project and should thus also be payable to INTACH as an execution agency for the project.

5. Only Rs. 11.39 crores has been sanctioned as compare to the proposed budget of Rs. 16.57 crores, please provide the details regarding the deductions in the budget.

Considering the above you are hereby requested to drop the penalty clause to enable us to sign the MoU and initiate work on site.

Yours sincerely,

(Divay Gupta)

Vice- Chancellor,
Sampurnand Sanskrit Vishvaidyalaya (University),
Varanasi- 221002, Phone – 0542- 2204089, Fax – 0542- 2206617, E-mail – vc@ssvv.ac.in

CC. Dr Ashwani Kumar Goyal
Joint Secretary, Higher Education, Section -4, Bahukhandi Bhawan, Lucknow – 226001

CC. Dr.Om Prakash Kejriwal, Convenor INTACH Varanasi Chapter
Flat C-1, D-1, 1st Floor, Vijay Complex, Bhelupura, Varanasi-221010 email: okejariwal@hotmail.com

कार्यदायी संस्था इंटैक के उपर्युक्त पत्र को संलग्न करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या नि.वि.970/10/15, दिनांक 29.10.2015 के माध्यम से शासन से दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में शासन ने पत्र संख्या-1296/सत्तर-4-2015-5(3)/09, दिनांक 9 अक्टूबर 2015 के द्वारा मुख्य भवन के जीर्णोद्धार हेतु नामित की गयी कार्यदायी संस्था इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉंर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज एव विश्वविद्यालय के मध्य होने वाले अनुबन्ध पत्र की प्रति एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है-

1-सम्बन्धित पेनाल्टी क्लाज क्या है?

2- विवाद की स्थिति में (Final Authority) कौन होगा?

3- पेनाल्टी क्लाज हटाने का औचित्य ~~लिखा~~ क्या है?

परिषद् को कुलपति ने यह भी अवगत कराया कि शासन भी मुख्य भवन के जीर्णोद्धार हेतु कृतसंकल्प है, आयुक्त वाराणसी मण्डल भी इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है।

कार्यपरिषद् ने मुख्यभवन के जीर्णोद्धार हेतु नामित कार्यदायी संस्था इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फांर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 एवं अन्य सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि -

यतः मुख्य भवन की ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्व को दृष्टि में रखते हुए इसका जीर्णोद्धार सामान्य संस्था से कराने से इसके मूल आकृति एवं ऐतिहासिकता आदि पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी को दृष्टि में रखते हुए विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 19.02.2014 में निर्णय लिया था कि मुख्य भवन का जीर्णोद्धार इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉंर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) जैसी विशेषज्ञ संस्था से कराया जाय।'' उक्त संस्था ने अपने पत्र के माध्यम से यह भी सूचित किया है यह संस्था केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कई ऐतिहासिक भवनों का जीर्णोद्धार लगभग 30 वर्षो से करते आ रहे है और इस कार्यो के सम्पादन में किसी भी अनुबन्ध में पेनाल्टी क्लाज नही रहा है।'' अतः विश्वविद्यालय द्वारा तैयार अनुबंध पत्र के बिन्दु-5 के रूप में समावेशित पेनाल्टी क्लाज को हटा दिया जाय।

कार्यपरिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि कार्यपरिषद् के उपर्युक्त निर्णय से शासन को अवगत कराते हुए शीघ्रता से प्रयास कर अनुबंध कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

कुलसचिवजी
कृ. अनुमोदनार्थ

कुलपति जी
कृ. अनुमोदनार्थ

07.12.15

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

F:\Word\KP\2015\04.12.2015\mmt.s